अनुदान संख्या 100 - लक्षद्वीप
GRANT No. 100 - LAKSHADWEEP

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत -	Voted-				
मूल	Original	598,92,00	609,42,00	610,85,67	+1,43,67
पूरक	Supplementary	10,50,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				28,56
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted-		272,92,00	270,07,90	-2,84,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,43,72

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, यद्यपि ₹1050.00 लाख का पूरक अनुदान नवम्बर, 2011 में प्राप्त किया गया था और ₹28.56 लाख की राशि अभ्यर्पित कर दी गई थी, व्यय स्वीकृत प्रावधान से ₹143.67 लाख अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय ₹1,43,67,211 लाख था) । **इस अधिक व्यय को संसद द्वारा अनुदानों की अधिक मांगों को स्वीकृत करवाकर विनियमित किए जाने की आवश्यकता है।**

अधिक व्यय/बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुआ/हुईं:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, although supplementary grant of ₹1050.00 lakhs was obtained in November, 2011 and an amount of ₹28.56 lakhs was surrendered, the expenditure exceeded the sanctioned provision by ₹143.67 lakhs (actual excess was ₹1,43,67,211) . **The excess requires regularization by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

Excess/savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
क-गृह मंत्रालय	**A – Ministry of Home Affairs**				
मुख्य शीर्ष - "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat – General Services				
मू.	O.	2115.00	2092.14	2084.04	-8.10
पू.	S.	10.00			
पु.	R.	-32.86			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	2517.00			
पू.	S.	100.00	2665.02	2609.30	-55.72
पु.	R.	48.02			
ख - कृषि मंत्रालय	**B – Ministry of Agriculture**				
मुख्य शीर्ष "2403"	Major Head "2403"				
पशु पालन	Animal Husbandry				
मू.	O.	1305.00			
			1444.10	1462.57	+18.47
पु.	R.	139.10			
मुख्य शीर्ष "2405"	Major Head "2405"				
मछली पालन	Fisheries				
मू.	O.	1555.00			
			1253.74	1295.99	+42.25
पु.	R.	-301.26			
मुख्य शीर्ष "2425"	Major Head "2425"				
सहकारिता	Co-operation				
मू.	O.	700.00			
			155.21	152.00	-3.21
पु.	R.	-544.79			
घ - विद्युत मंत्रालय	**D – Ministry of Power**				
मुख्य शीर्ष "2801"	Major Head "2801"				
बिजली	Power				
मू.	O.	5495.00			
पू.	S.	150.00	6116.87	6108.65	- 8.22
पु.	R.	471.87			
ङ - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	**E- Ministry of Food Processing Industries**				
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "2408"				
खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	700.00			
			515.43	515.44	+0.01
पु.	R.	-184.57			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
ज - विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग	**H – Department of School Education and Literacy**				
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	643.00			
			780.48	774.07	-6.41
पु.	R.	137.48			
झ - उच्चतर शिक्षा विभाग	**I – Department of Higher Education**				
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	6669.00			
पू.	S.	150.00	8140.26	8197.24	+56.98
पु.	R.	1321.26			
त - विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय	**P – Ministry of Science and Technology**				
मुख्य शीर्ष "3425"	Major Head "3425"				
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research				
मू.	O.	1989.00			
			1600.02	1580.03	-19.99
पु.	R.	-388.98			
ध - पोत परिवहन मंत्रालय	**S – Ministry of Shipping**				
मुख्य शीर्ष "3052"	Major Head "3052"				
जहाजरानी	Shipping				
मू.	O.	16201.00			
			15289.20	15289.20	..
पु.	R.	-911.80			
फ - शहरी विकास मंत्रालय	**V – Ministry of Urban Development**				
मुख्य शीर्ष "2059"	Major Head "2059"				
लोक निर्माण कार्य	Public Works				
मू.	O.	2516.00			
			2612.44	3174.91	+562.47
पु.	R.	96.44			

(I) मुख्य शीर्ष "2055" - "विशेष पुलिस - भारत रिजर्व बटालियन" के अंतर्गत ₹135.30 लाख का अधिक व्यय (₹100.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹1074.78 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंहगाई भत्ता बकाया, यात्रा भत्ता बिलों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और कठोर क्षेत्र भत्ते में वृद्धि होने के कारण हुआ ।

(I) Under Major Head "2055" - "Special Police - India Reserve Battalion" - excess of ₹135.30 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1074.78 lakhs including supplementary grant of ₹100.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards dearness allowance arrears, travelling allowance bills and increase in Hard Area Allowance.

(II) मुख्य शीर्ष "2403" - "कुक्कुट विकास - कुक्कुट विकास स्कीम" के अंतर्गत ₹128.08 लाख का अधिक व्यय (₹581.10 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बकरी/पशु चारे, औषधियों और अस्थायी श्रमिकों की लंबित मजदूरी का निपटान किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ ।

(II) Under Major Head "2403" - "Poultry Development – Poultry Development Scheme" - excess of ₹128.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹581.10 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Goat/Cattle feeds, medicines and clearance of pending wages of temporary labourers.

(III) मुख्य शीर्ष "2801" - "डीजल/गैस विद्युत उत्पादन - लक्षद्वीप में विद्युत की पूर्ति - विद्युत संयंत्र और अनुषंगी निर्माण कार्य" के अंतर्गत ₹514.36 लाख का अधिक व्यय (₹150.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹5575.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कठिन क्षेत्र भत्ते में वृद्धि होने, मंहगाई भत्ते के बकाया और पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को डीजल संबंधी बकाया अदायगियों का निपटान किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ ।

(III) Under Major Head "2801" - "Diesel/Gas Power Generation - Supply of Electricity in Lakshadweep - Power Plant and Ancillary Works" - excess of ₹514.36 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹5575.10 lakhs including supplementary grant of ₹150.00 lakhs) was due to increase in Hard Area Allowance, requirement of additional funds towards dearness allowance arrears and clearance of outstanding payments for diesel to Directorate General of Supplies and Disposals.

(IV) मुख्य शीर्ष "2202" के अंतर्गत अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ: -

(IV) Under Major Head "2202" – excess occurred under the following heads:-

(का) "प्रारंभिक शिक्षा - राजकीय प्राथमिक विद्यालय - प्राथमिक शिक्षा" - ₹131.07 लाख का अधिक व्यय (₹643.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सामुदायिक सूचना केंद्र आपरेटरों के वेतन/मानदेय, प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन और भूस्वामियों के भूमि मुआवजे के लंबित बिलों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ ।

(A) "Elementary Education – Government Primary Schools – Primary Education"- excess of ₹131.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹643.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salary/honorarium of Community Information Centre operators, mid day meals in primary schools and to clear pending bills of land compensation for land owners.

(खा) "माध्यमिक शिक्षा - राजकीय माध्यमिक विद्यालय - माध्यमिक विद्यालय" - माध्यमिक विद्यालय" - ₹814.81 लाख का अधिक व्यय (₹150.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹3138.90 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय विद्यालय, कावारत्ती के लिए नए भवन का निर्माण किए जाने, भूमि के मुआवजे और कठिन क्षेत्र भत्ते

(B) "Secondary Education – Government Secondary Schools – Secondary Schools"- excess of ₹814.81 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3138.90 lakhs including supplementary grant of ₹150.00 lakhs) was due to requirement of additional

और मंहगाई भत्ते संबंधी आवश्यकता को पूरी करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ ।

funds towards construction of new building for Kendriya Vidyalaya, Kavaratti, land compensation and to meet the requirement of Hard Area Allowance and Dearness Allowance.

(गा) "सामान्य - ग्राम पंचायतों को सहायता - पंचायतें" - ₹607.56 लाख का अधिक व्यय (₹2880.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जिला पंचायतों को स्थानांतरित प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के वेतन और भत्तों और कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते/कठिन क्षेत्र भत्ते के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ ।

(C) "General – Assistance to Gram Panchayats – Panchayats"- excess of ₹607.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2880.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards pay and allowances of Primary School teachers transferred to District Panchayats and Dearness Allowance/Hard Area Allowance to employees.

(V) मुख्य शीर्ष "2059" - "सामान्य" के अंतर्गत अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

(V) Under Major Head "2059" – "General"- excess occurred under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रकाशन - कार्यकारी स्थापना" - ₹126.82 लाख का अधिक व्यय (₹537.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बढ़े हुए कठिन क्षेत्र भत्ते और मंहगाई भत्ते के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ ।

(A) "Direction and Administration – Executive Establishment"- excess of ₹126.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹537.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards increased Hard Area Allowance and dearness allowance.

(खा) "रख-रखाव और मरम्मत - गैर-रिहायशी भवन" - ₹120.70 लाख का अधिक व्यय (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)विभिन्न सरकारी कार्यालयों की मरम्मत और रख-रखाव संबंधी लंबित बिलों का निपटान किए जाने के कारण हुआ ।

(B) "Maintenance and Repairs – Non-Residential Buildings"- excess of ₹120.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to clearance of pending bills for repair and maintenance of various Government offices.

(गा) "उचंत - भंडार" - ₹533.38 लाख का अधिक व्यय (₹1535.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लोक निर्माण विभाग, लक्षद्वीप के मासिक लेखों में भुगतान और लेखा अधिकारी, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को की गई अदायगी गलती से लेखे में न लिए जाने के कारण हुआ ।

(C) "Suspense – Stock"- excess of ₹533.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1535.00 lakhs) was due to non-accounting of payment made to PAO, Directorate General of Supplies and Disposals in the monthly accounts of Public Works Department, Lakshadweep inadvertently.

(VI) पांच शीर्षों के अंतर्गत ₹402.83 लाख का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत से 97 प्रतिशत तक था ।

(VI) Under five heads excess of ₹402.83 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 21 percent to 97 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त अधिक व्यय बचतों द्वारा नीचे दिए अनुसार आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गया:-

2. The above excess was partly offset by savings as under:-

(I) ₹80.10 लाख का प्रावधान ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा ।

(II) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - लक्षद्वीप" के अंतर्गत ₹580.07 लाख के मूल प्रावधान को ₹10.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹590.07 लाख कर दिया गया । तथापि, ₹30.24 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई; और

(III) मुख्य शीर्ष "2055" - "जिला पुलिस - लक्षद्वीप पुलिस" के अंतर्गत ₹126.20 लाख की बचत (₹1202.47 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों के भरे न जाने और संशोधित आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम बकायाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं ।

(IV) मुख्य शीर्ष "2405" - "समुद्री में मछली पकड़ना - गहरे समुद्र में मछली पकड़ना" के अंतर्गत ₹218.04 लाख की बचत (₹957.55 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नाव स्वामियों के लिए हाई स्पीड डीजल तेल की कम अधिप्राप्ति किए जाने, कुछ द्वीपों में मछली संचय उपकरण न लगाए जाने और प्रशासनिक कारणों से स्थानीय मछुआरों का बीमा न किए जाने के कारण हुई ।

(V) मुख्य शीर्ष "2425" - "अन्य सहकारिताओं को सहायता - श्रमिक संविदा समितियां" के अंतर्गत ₹494.96 लाख की बचत (₹513.97 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लक्षद्वीप उपभोक्ता विपणन संघ के पास पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य - अधिप्राप्ति और पूर्ति - खाद्यान्नों की खरीद" के अंतर्गत ₹184.56 लाख की बचत (₹700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों का कोटा आबंटित न किए जाने के कारण हुई ।

(VII) मुख्य शीर्ष "3425" - "अन्य - निदेशन और प्रशासन - मुख्यालय स्थापना" के अंतर्गत ₹407.07 लाख की बचत (₹1984.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और कोटेशनों को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से विलवणीकरण संयंत्र के लिए दाहित्र स्थापित न किए जाने के कारण हुई ।

(I) Provision of ₹ 80.10 lakhs remained wholly unutilised under eleven heads.

(II) Under Major Head "2052" – "Secretariat – Lakshadweep" – the original provision of ₹580.07 lakhs was augmented to ₹590.07 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹10.00 lakhs. However, there was a saving of ₹30.24 lakhs (including supplementary grant); and

(III) Under Major Head "2055" – "District Police – Lakshadweep Police" - saving of ₹126.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1202.47 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts and non-finalisation of modified assured career progression scheme arrears.

(IV) Under Major Head "2405" – "Marine Fishries – Deep Sea Fishries"- saving of ₹218.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹957.55 lakhs) was due to less procurement of High Speed Diesel oil for Boat owners, non-deployment of Fish Aggregate Device in few islands and non-insurance of local fishermen owing to administrative reasons.

(V) Under Major Head "2425" – "Assistance to other Co-operatives – Labour Contract Societies"- saving of ₹494.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹513.97 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year with Lakshadweep Consumer Marketing Federation.

(VI) Under Major Head "2408" – "Food – Procurement and Supply – Purchase of Food Grains" - saving of ₹184.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700.00 lakhs) was due to non-allotment of quota of food grains by Food Corporation of India.

(VII) Under Major Head "3425" – "Others – Direction and Administration – Headquarters Establishment"- saving of ₹407.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1984.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-setting up of Incinerator for desalination plant owing to non-finalisation of quotations.

(VIII) मुख्य शीर्ष "3052" - समुद्रपार जहाजरानी - जहाजरानी सेवाएं - भारतीय जहाजरानी निगम के अंतर्गत ₹911.80 लाख की बचत (₹16201.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोचीन शिपयार्ड और भारतीय तेल निगम को अदायगी अगले वित्तीय वर्ष के लिए आस्थगित किए जाने के कारण हुई ।

(VIII) Under Major Head "3052" - "Overseas Shipping – Shipping Services – Shipping Corporation of India" - saving of ₹911.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16201.00 lakhs) was due to deferment of payment to Cochin Shipyard and Indian Oil Corporation to next financial year.

(IX) मुख्य शीर्ष "2059" - "सामान्य - निर्माण - भवन" के अंतर्गत ₹121.00 लाख की बचत (₹240.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकारी कार्यालयों की मरम्मत और रख-रखाव का कार्य सौंपे जाने में विलम्ब होने के कारण हुई ।

(IX) Under Major Head "2059" - "General – Construction - Building" - saving of ₹121.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹240.00 lakhs) was due to delay in awarding of work for repair and maintenance of Government offices.

(X) नौ शीर्षों के अंतर्गत ₹574.84 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परंतु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत से 73 प्रतिशत तक थी ।

(X) Under nine heads savings of ₹574.84 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 18 percent to 73 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत - Saving -
ख - कृषि मंत्रालय	**B – Ministry of Agriculture**				
मुख्य शीर्ष "4405" मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4405" Capital Outlay on Fisheries				
मू.	O.	225.00	492.77	492.32	-0.45
पु.	R.	267.77			
छ - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	**G – Ministry of Health and Family Welfare**				
मुख्य शीर्ष "4210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	330.00	810.00	846.39	+36.39
पु.	R.	480.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
द - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	**R – Ministry of Road Transport and Highways**				
मुख्य शीर्ष "5054" सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	1200.00	1699.00	1666.61	-32.39
पु.	R.	499.00			
ध - पोत परिवहन मंत्रालय	**S – Ministry of Shipping**				
मुख्य शीर्ष "5052" पोत परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5052" Capital Outlay on Shipping				
मू.	O.	12900.00	12909.00	12911.09	+2.09
पु.	R.	9.00			
फ - शहरी विकास मंत्रालय	**V – Ministry of Urban Development**				
मुख्य शीर्ष "4055" पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4055" Capital Outlay on Police				
मू.	O.	152.00	339.54	322.69	- 16.85
पु.	R.	187.54			
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	1615.00	1964.49	1903.33	-61.16
पु.	R.	349.49			
मुख्य शीर्ष "4070" अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4070" Capital Outlay on Other Administrative Services				
मू.	O.	150.00	..	..	..
पु.	R.	-150.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4202" शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture				
मू.	O.	940.00	927.74	901.96	-25.78
पु.	R.	-12.26			
मुख्य शीर्ष "4210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	400.00	146.53	164.76	+18.23
पु.	R.	-253.47			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	1700.00	1379.00	1382.13	+3.13
पु.	R.	-321.00			
य - नागर विमानन मंत्रालय मुख्य शीर्ष "5053" नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	**Z – Ministry of Civil Aviation** Major Head "5053" Capital Outlay on Civil Aviation				
मू.	O.	1050.00	551.00	551.00	..
पु.	R.	-499.00			

(I) ₹297.30 लाख का प्रावधान ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹150.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "4070" - "अन्य व्यय - अग्निशमन बल" के अंतर्गत दमकल केंद्र भवन के निर्माण के लिए निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹297.30 lakhs remained wholly unutilised under eleven heads; of these ₹150.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4070" – "Other Expenditure – Fire Force" – due to non-finalisation of tenders for construction of Fire Station building.

(II) मुख्य शीर्ष "5052"- "तटीय जहाजरानी - टन भार का अधिग्रहण तथा विस्तार - पोतों का निर्माण" के अंतर्गत ₹483.50

(II) Under Major Head "5052" – "Coastal Shipping – Acquisition and Expansion of Tonnage – Construction

लाख की बचत (₹10500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दो यात्री-सह-कार्गो पोतों के निर्माण के लिए आंशिक अदायगी किए जाने के कारण हुई।

of Ships" – saving of ₹483.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10500.00 lakhs) was due to part payment for construction of two Passenger-cum-cargo ships.

(III) मुख्य शीर्ष "4055" - "राज्य पुलिस - जिला पुलिस" के अंतर्गत ₹118.61 लाख की बचत (₹120.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुलिस क्वार्टरों के निर्माण के लिए कोटेशनों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई ।

(III) Under Major Head "4055" – "State Police – District Police" – saving of ₹118.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹120.00 lakhs) was due to non-finalisation of quotations for construction of Police Quarters.

(IV) मुख्य शीर्ष "4202" - "खेलकूद तथा युवा सेवाएं - अन्य व्यय - भवन" के अंतर्गत ₹130.31 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खेलकूद उपयोगिता के निर्माण के लिए भू-स्वामियों से भूमि प्राप्त न होने के कारण हुई ।

(IV) Under Major Head "4202" – "Sports and Youth Services – Other Expenditure –Building" – saving of ₹130.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to non-receipt of land from land owners for construction of Sports Utility.

(V) मुख्य शीर्ष "4210" - "सामान्य - अन्य व्यय - भवन" के अंतर्गत ₹235.24 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भू-स्वामियों को मुआवजे की अदायगी न किए जाने और निदेशालय भवन का निर्माण कार्य सौंपे जाने में विलम्ब होने के कारण हुई ।

(V) Under Major Head "4210" – "General – Other Expenditure –Building" – saving of ₹235.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was due to non-payment of compensation to land owners and delay in awarding of construction work of Directorate building.

(VI) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी रिहायशी भवन - सामान्य पूल आवास - सरकारी क्वार्टरों का निर्माण" के अंतर्गत ₹317.87 लाख की बचत (₹1700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकारी कर्मचारियों के लिए रिहायशी क्वार्टरों के निर्माण संबंधी निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई ।

(VI) Under Major Head "4216" – "Government Residential Building – General Pool Accommodation – Construction of Government Quarters" – saving of ₹317.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1700.00 lakhs) was due to non-finalisation of tenders for construction of residential quarters for Government employees.

(VII) मुख्य शीर्ष "5053" - "विमानपत्तन - हवाई अड्डे - हवाई पट्टियां" के अंतर्गत ₹499.00 लाख की बचत (₹1050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एंड्रोट, मिनीकाय में लघु हवाई पट्टी के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण न किए जाने और अगत्ती विमानपत्तन के विस्तार के लिए मंत्रालय से निकासी प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VII) Under Major Head "5053" – "Airports – Aerodromes – Airstrips" – saving of ₹499.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1050.00 lakhs) was due to non-acquisition of land for construction of mini airstrip at Andrott, Minicoy and non-receipt of clearance from Ministry for expansion of Agatti airport.

(VIII) नौ शीर्षों के अंतर्गत ₹670.36 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 97 प्रतिशत थी।

(VIII) Under nine heads savings of ₹670.36 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 25 percent to 97 percent of the sanctioned provision.

4.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

4.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4405" - "संसाधन, परिरक्षण तथा विपणन - मछली बाजार" - ₹186.49 लाख का अधिक व्यय (₹100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मछुआरों को किटों की पूर्ति के लिए सहायिकी और आउटबोर्ड मशीनों में उपयोग के लिए मछुआरों को बिक्री के लिए कैरोसीन तेल की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ ।

(खा) मुख्य शीर्ष "4210" - "ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य व्यय - मुख्यालय और अस्पताल" - ₹525.21 लाख का अधिक व्यय (₹250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अगत्ती में सार्वजनिक निजी भागीदारी विधि से राजीव गांधी विशिष्टता अस्पताल की मशीनरी और स्थापना लागत के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ ।

(गा) मुख्य शीर्ष "5054" - "जिला और अन्य सड़कें - सड़क निर्माण कार्य - सम्पर्क सड़कों का निर्माण"- ₹466.61 लाख का अधिक व्यय (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न द्वीपों में सम्पर्क सड़कों के निर्माण के लिए अधिग्रहीत भूमि के भू-स्वामियों को मुआवजे के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ ।

(घा) मुख्य शीर्ष "5052" - "तटीय जहाजरानी - टनभार का अधिग्रहण तथा विस्तार - लंगर डालने की सुविधाएं" - ₹494.59 लाख का अधिक व्यय (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोची/बेपोर में समर्पित लंगर डालने की और टर्मिनल सुविधाओं के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ ।

(ङ) मुख्य शीर्ष "4055" - "विशेष पुलिस - भवन" - ₹253.29 लाख का अधिक व्यय (₹10.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवासीय परिसर के प्रथम चरण के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(चा) मुख्य शीर्ष "4059" - "सामान्य - निर्माण - भवन" - ₹388.23 लाख का अधिक व्यय (₹1274.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न द्वीपों में सरकारी प्रयोजन के लिए अधिग्रहीत भूमि के भू-स्वामियों को भूमि के मुआवजे और कार्यालय भवन के निर्माण से संबंधित संविदाकारों के बिलों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ ।

(A) Major Head "4405" – "Processing, Preservation and Marketing – Fish Market" – excess of ₹186.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹100.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards subsidies for supply of kits to fishermen under Rashtriya Krishi Vikas Yojana and purchase of Kerosene oil for sale to fishermen for use in outboard machines.

(B) Major Head "4210" – "Rural Health Services – Other Expenditure – Headquarters and Hospitals" – excess of ₹525.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹250.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards cost of machineries and establishment cost of Rajiv Gandhi Specialty Hospital at Agatti on Public Private Partnership mode.

(C) Major Head "5054" – "District and Other Roads – Road Works –Construction of Link Roads" – excess of ₹466.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards compensation to land owners acquired for the construction of link roads at various islands.

(D) Major Head "5052" – "Coastal Shipping – Acquisition and Expansion of Tonnage – Berthing Facilities" – excess of ₹494.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards construction of dedicated berth and terminal facilities at Kochi/ Beypore.

(E) Major Head "4055" – "Special Police – Building" – excess of ₹253.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards construction of first phase of Housing Complex.

(F) Major Head "4059" – "General – Construction – Building" – excess of ₹388.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1274.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards land compensation to land owners acquired for the Government purpose in various islands and to clear contractors bill towards construction of office building.

(छा) मुख्य शीर्ष "4202" - "सामान्य शिक्षा - विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा - भवन" - ₹122.04 लाख का अधिक व्यय (₹50.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एंड्रोट स्थित डिग्री कालेज और विभिन्न पालिटेक्निकों के लिए अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण किए जाने के कारण हुआ ।

(G) Major Head "4202" – "General Education – University and Higher Education – Building" – excess of ₹122.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50.00 lakhs) was due to construction of additional classrooms for degree college at Andrott and various Poly-techniques.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹80.83 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 65 प्रतिशत था ।

(II) Under one head excess of ₹80.83 lakhs occurred constituting 65 percent of the sanctioned provision.